न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 07 / 2020

1 केसर सिंह पुत्र कजोड़मल जाति दरोगा निवासी पालवास तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भवानी सिंह पुत्र आसूसिंह जाति दरोगा निवासी पालवास तहसील धोद जिला सीकर।
2 उप पंजियक सीकर।
3 पटवारी हल्का कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
4 पटवारी हल्का श्यामपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय श्री राजपाल यादव उपखण्ड अधिकारी धोद मु0 सीकर दिनांकित 26.12.2019 जिसके अनुसार अपीलांट का रिसीवर नियुक्ति का आवेदन प्रकरण संख्या 24 / 2019 अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्राथमिक विधिक आपत्ति के आधार पर कतई गलत रूप से खारिज किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री मदनलाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 21.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 24/2019 में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमियाँ खसरा नम्बर 1083 रकबा 1.083 है. वाके तन ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 237 रकबा 0.76 है. तथा खसरा नम्बर 259 रकबा 0.43 है. वाके तन ग्राम ताजसर कर्णावतान तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियाँ पूर्व में जोहरी उर्फ जवाहर सिंह पुत्र नारायण सिंह दरोगा निवासी पालवास जिला सीकर की कब्जा, काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमियाँ रही है। उक्त कृषि भूमियाँ स्व. जवाहर सिंह की स्वार्जित कृषि भूमियाँ रही है। उक्त कृषि भूमियों के सम्बन्ध में रेस्पोडेंट/अप्रार्थी/वादी संख्या—1 भवानी सिंह ने एक आधारहीन वाद अनुवानी भवानी सिंह आदि विपरीत श्रीमती मोहनी देवी आदि संख्या—368/2014 न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर समक्ष प्रस्तुत किया। जो बाद में नवसृजित उप खण्ड अधिकारी धोद के यहाँ स्थानान्तरित कर दिया गया। उक्त वाद में अपीलांट/प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमियों के संदर्भ में एक आवेदन रिसीवर नियुक्ति हेतु अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया गया। जिसमें रेस्पोडेंट/अप्रार्थी/वादी ने दिनांक 27.09.2019 को प्रारम्भिक आपत्तियाँ प्रस्तुत की। जिसका उत्तर अपीलांट/प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 10.10.2019 को प्रस्तुत कर दिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में बिना गुणावगुण पर गौर फरमाये, केवल मात्र प्राथमिक विधिक आपत्ति के आधार पर अपीलांट/प्रार्थी/वादी का रिसीवरी का आवेदन कतई गलत रूप से, कानून के प्रावधानों के विपरीत दिनांक 26.12.2019 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा धारा 212(2) के अन्तर्गत रिसीवरी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। दौराने सुनवाई अप्रार्थी द्वारा विधिक आपत्ति प्रस्तुत की गई इस विधिक आपत्ति पर विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत विधिक आपत्ति को स्वीकार कर अपीलांट का आवेदन खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन केवल इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलांट द्वारा न तो काउंटर दावा प्रस्तुत किया गया है न ही काउंटर टीआई पेश की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का रिसीवरी का आवेदन चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष विधि सम्मत नहीं है। विधि अनुसार धारा 212(2) के अनुसार अपीलांट का आवेदन पोषणीय है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के आवेदन पर गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर आर डी 1983 पेज नम्बर 485, आर आर डी 1971 पेज नम्बर 591, आर आर डी 1955 पेज नम्बर 512, आर आर डी 1987 पेज नम्बर 396, आर आर डी 1977 पेज नम्बर 57 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष ही गलत है। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि विवादित भूमि खुर्द बुर्द की जा रही है। अपीलांट की अपील पोषणीय नहीं है। विचाराधीन आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अंतरिम आदेश है। इसके विरूद्ध निगरानी पोषणीय है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा धारा 212(2) के अन्तर्गत रिसीवरी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। दौराने सुनवाई अप्रार्थी द्वारा विधिक आपत्ति प्रस्तुत की गई इस विधिक आपत्ति पर विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत विधिक आपत्ति को स्वीकार कर अपीलांट का आवेदन खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन केवल इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलांट द्वारा न तो काउंटर दावा प्रस्तुत किया गया है न ही काउंटर टीआई पेश की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का रिसीवरी का आवेदन चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष विधि सम्मत नहीं है। विधि अनुसार धारा 212(2) के अनुसार अपीलांट का आवेदन पोषणीय है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के आवेदन पर गुणावगुण पर निर्णित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र धारा 212(2) गुणावगुण पर विवेचन कर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.01.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर